

कार्यालय : जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल (प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान)

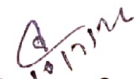
मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक चयन हेतु सूचना

राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के ज्ञापांक-3039 दिनांक-17.06.2026 के द्वारा PM SHRI कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के चयनित 17 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-6-12 की न्यूनतम 50 बालिकाओं के आत्मरक्षा हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (Self Defence) कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। जिसमें 17 प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन जिला स्तर से चयनित प्रशिक्षकों द्वारा किया जाना है।

प्रशिक्षकों के चयन संबंधित न्यूनतम आर्हता निम्नवत् होगी :-

- कराटे :- ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन/कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया कराटे ऑग्रनाइजेशन ऑफ इंडिया (ALKD/KAI/KIO) से संबंधित कराटे स्टाईल द्वारा निर्गत कराटे BLACK BELT योग्यताधारी।
- ताईक्वांडो :- World Tackwondo Headquarte Kukkiwon Unvercity के द्वारा निर्गत ताईक्वांडो BLACK BELT योग्यताधारी।
- वुशू :- Wushu Association of India एवं Bihar Wushu Association द्वारा निर्गत National and State Level Coaches Seminar Certificate योग्यताधारी।
- शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उसके समकक्ष
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष
- कराटे/ताईक्वांडो/वुशू विद्या के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।
- प्रशिक्षण कुल-77 दिनों का लगातार/विभागीय निदेशानुसार (राजपत्रित सामान्य अवकाश) को छोड़कर होगा।
- प्रशिक्षणोपरांत विद्यालय से प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर एवं विभागीय निदेश के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक प्रति विद्यालय 350/- (तीन सौ पचास) रुपया का भुगतान SNA स्पर्श के माध्यम से प्रशिक्षक के खाते में जिला कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

अतएव इच्छुक एवं वांछित अर्हता वाले अभ्यर्थी दिनांक-16.07.2026 तक कार्यालय अवधि में संलग्न विहित प्रपत्र में प्रशिक्षण पंजीयन प्रपत्र जिला कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना, सुपौल, शिक्षा भवन, सुपौल में जमा कर सकते हैं। पंजीयन प्राप्त समर्पित करने वाले योग्य अभ्यर्थी का दिनांक-20.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा। जिसमें आवेदक अपने सभी मूल प्रमाण-पत्र एवं 01 स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ कार्यालय में ससमय उपस्थित होंगे। उक्त तिथि के पश्चात् किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।


जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सुपौल।

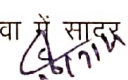
ज्ञापांक-9/0 सुपौल, दिनांक-10/5/2026

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ-सह- अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि उक्त सूचना BRC के सूचनापट्ट पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : MIS प्रभारी बिहार शिक्षा परियोजना, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि BEP सुपौल के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि NIC के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि : राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।


जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सुपौल।